

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

(01)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 04/2018

दायर दिनांक : 02.02.2018

आदेश दिनांक : 08.08.2019

डॉ. ललित दाधीच पिता गंगाधर दाधीच, निवासी मधुवन कॉलोनी, सिंहाड़ तालाब के सामने नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

—प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार राजसमन्द

—अप्रार्थीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उप धारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

(02)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 05/2018

दायर दिनांक : 02.02.2018

आदेश दिनांक : 08.08.2019

—:अनवान:-

श्रीमती अंजना पत्नी डॉ0 ललित दाधीच, निवासी मधुवन कॉलोनी, सिंहाड़ तालाब के सामने नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

—प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार राजसमन्द

—अप्रार्थीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उप धारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

उपस्थित

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2
3. श्री महेन्द्र बापना, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2
4. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 21.04.2017 को पारित एवार्ड राजस्व ग्राम जावद में स्थित आराजी नम्बर 967 की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में चुनौती दी गई है तथा एवार्ड अभिवृद्धि के लिये विभिन्न आधार अपने प्रार्थनापत्र में लिये।



प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं रुक्म प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा नियमानुसार तत्समय प्रचलित डीएलसी. दर से मुआवजा तय किया गया है। प्रार्थी वर्तमान बाजार दर से मुआवजा चाहता है जो स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी को भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा की कार्यवाही विचाराधीन हैं। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं एवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा उक्त एवार्ड अभिवृद्धि के लिये प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मुआवजा राशि प्रार्थी को डीएलसी दर अनुसार भुगतान नहीं की गयी है तथा उक्त भूमि प्रार्थी की वाणिज्यिक उपयोग की होते हुए भी प्रार्थी को मुआवजा राशि वाणिज्यिक दर से भुगतान जारी नहीं किया गया है। नगरपालिका द्वारा उक्त भूमि का पट्टा वाणिज्यिक जारी किया गया है और अवाप्तशुदा भूमि की अधिसूचना दिनांक 04.10.2013 को जारी की गयी है, उससे पूर्व वाणिज्यिक रूपान्तरणशुदा प्रार्थी का पट्टा होने से वाणिज्यिक दर से भुगतान प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा एवार्ड में प्रार्थी को आवासीय दर से/गैर रूपान्तरण भूखण्ड की दर से मुआवजा अदा किया गया है जो स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हैं साथ ही यह भी निवेदन किया कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत उक्त मामले में दिनांक 01.01.2015 से लागू हो चुके हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मानसिंह बनाम भारत संघ के मामले में 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिये जाने के निर्देश/आदेश इसी से लगी हुई भूमि के संबंध में प्रदान किये गये हैं लेकिन प्रार्थी को मुआवजा राशि वाणिज्यिक दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत भुगतान नहीं की गयी है। इसी एवार्ड में खातेदारान केसरसिंह, कमला के मामले में भी उच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन 2013 के अधिनियम के तहत भुगतान करने के लिये आदेश पारित किये हैं। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावे।

विपक्षी द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी को डीएलसी दर पर ही भूमि का मुआवजा अदा किया गया है तथा प्रार्थी की भूमि अवाप्ति के समय जो किस्म रेकॉर्ड में दर्ज थी, उसी अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। प्रार्थीने कोई आपत्ति एवं क्लेम आवेदन मुआवजा के संबंध में पेश नहीं किया है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं। मुआवजा का निर्धारण विधिनुसार सही किया गया है। गणना में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। प्रार्थी की याचिका आधारहीन है अतः खारिज फरमायी जावे। विपक्षी संख्या 02 की ओर जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उक्त भूमि के संबंध में संशोधित एवार्ड जारी कर दिया गया है। पूर्व में किये गये भुगतान के पश्चात शेष भुगतान योग्य राशि बाबत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा आवासीय दर से तय किया गया है जबकि उक्त भूमि वाणिज्यिक रूपान्तरणशुदा होकर नगरपालिका द्वारा वाणिज्यिक रूपान्तरण का पट्टा उक्त आराजी नं0 967 में जारी किया गया है। इसलिए प्रार्थी को वाणिज्यिक दर से मुआवजा का भुगतान किया गया जावे साथ ही यह भी निवेदन किया है कि इसी आराजी में वाणिज्यिक रूपान्तरणशुदा भूमि होकर पट्टे नगरपालिका द्वारा जारी किये गये हैं। जो एक ही जमीन है। इसलिए आवासीय दर से




M

लय किया गया मुआवजा गलत है। प्रार्थी के मामले में वाणिज्यिक दर तय होती है। साथ ही भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से लागू हो चुके हैं। जिसके संबंध में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मानसिंह बनाम भारत संघ के मामले में एवं इसी अवार्ड में वर्णित खातेदार केशरसिंह व कमला की आराजी के संबंध में भी भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत भुगतान किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। विपक्षी ओर से मौखिक तर्क रहा है कि प्रार्थी का भूखण्ड आवासीय रूपान्तरण वक्त 3ए अधिसूचना दिनांक 28.12.2012 होने से उक्त भूखण्ड वाणिज्यिक रूपान्तरण दिनांक 23.01.2013 का होने से वाणिज्यिक दर उक्त मामले में देय नहीं होती है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की पालना की जा रही है। संशोधन अवार्ड जारी किया गया है। जिसकी भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।


उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अवार्ड वृद्धि हेतु दो आधार लिये गये हैं। जिसमें अवार्ड आवासीय दर के स्थान पर वाणिज्यिक दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के आधार पर मुआवजा राशि का भुगतान करने बाबत आधार लिये गये हैं। इस संबंध में विपक्षी द्वारा प्रार्थी को आवासीय दर से मुआवजा राशि भुगतान की गयी है। प्रार्थी का वाणिज्यिक रूपान्तरण का पट्टा दिनांक 23.01.2013 को जारी हुआ है। जबकि उक्त भूमि को अवाप्त करने की अधिसूचना 3ए दिनांक 28.12.2012 को जारी की गयी। मुआवजा राशि अधिसूचना 3ए दिनांक को प्रचलित भूमि की दर अनुसार देय होती है। प्रार्थी की भूमि अधिसूचना के दिनांक किस्म आवासीय होने से आवासीय दर से ही प्रार्थी भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसमें विपक्षी द्वारा आवासीय दर से भुगतान किये जाने में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। जहां तक भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा राशि का भुगतान का प्रश्न है विपक्षी स्वयं ने स्वीकार किया है वह भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत संशोधित अवार्ड जारी किया जा चुका है तथा इसके भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त परिस्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विपक्षी सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी/अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द प्रतिप्रेषित इस निर्देश के साथ किया जाता है कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत एवं जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा निर्धारित दर जोन अनुसार स्थित भूमि का संशोधित अवार्ड जारी कर शीघ्र भुगतान किया जावे।

आदेश की एक प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावे। तथा आदेश की एक-एक प्रति दोनों प्रार्थनापत्र की पत्रावलियों में संलग्न की जावे।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांक 08.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद